

51/110

7132/12



नि. क. मुखर्जी



नि. क. रामकुमार

06AA 003948

07/04/2017

**विक्रय-पत्र**

**लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण**

- 1. भूमि का प्रकार : कृषि
- 2. परगना : विजनीर
- 3. ग्राम : बरोना
- 4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) : भूमि खासत संख्या-268





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-2-

5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.107 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	: सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
9.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
10.	बोरिंग/कुआ/अन्य	: कुछ भी नहीं
11.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 10,04,302/-
12.	मालियत	: रु0 2,88,900/-
13.	स्टाम्प	: रु0 70,350/-

सि. अ.  
कुर्वा



सि. अ.  
महाराज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-3-

**चौहद्दी**

**खसरा नं०-268**

- पूरब : खसरा संख्या-266  
 पश्चिम : खसरा संख्या-270 व 271  
 उत्तर : खसरा संख्या-267 व 269  
 दक्षिण : खसरा संख्या-270 व 271

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	ः	क्रेता का विवरण
श्री सुखई पुत्र श्री मेकू निवासी-हसनपुर खेवली परगना बिजनौर तहसील व जिला-लखनऊ।		श्री राम कुमार पुत्र श्री रामपाल निवासी-जेतूवा टप्पे मोंव आशानन्दपुर जिला-रायबरेली।

लि. अ.  
सुखई



लि. अ.  
रामकुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 4 -


### विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्री सुखई पुत्र श्री मैकू  
निवासी-हसनपुर खेवली परगना बिजनौर तहसील व  
जिला-लखनऊ, जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम

श्री राम कुमार पुत्र श्री रामपाल निवासी-जेतूवा टप्पे भाँव  
आशानन्दपुर जिला-रायबरेली, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के  
मध्य निष्पादित किया गया।

  
श्री. श्री. सुखई

  
श्री. श्री. रामकुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या-268 रकबा 0.214 हेक्टेअर, का 1/2 भाग यानि 0.107 हेक्टेअर, स्थित- ग्राम-बरीना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, कामिल व काकिज है। उक्त आराजी विक्रेता की पुश्तनी जायदाद है, जो विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है तथा खाता

  
मि. श्री. मुसकरी

  
मि. श्री. रामकुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB-579485

06 JUN 2012

- 6 -

स्वतन्त्री क्रम संख्या-00480 के अनुसार विक्रेता का नाम अमल दशमद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही

  
A. M. Singh

  
M. P. Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

कोई व्यक्ति भागीदार है। अब बजरुत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खुब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलगा रू० 10,04,302/- (रुपया दस लाख चार हजार तीन सौ दो मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बच

  
श्री. श्री. सुधीर

  
श्री. श्री. रामप्रसाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 579489

06 JUN 1992

- 8 -

कतई किया और कुल विक्रय धनराशि फल तहरीर दस्तावेज  
हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त  
करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज से  
बखूबी करा दिया। अब विक्रेता व चारिसान विक्रेता को कोई हक  
व दावा निस्वत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से

मि. क. दुर्गा

मि. म. राधेश्यामि



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB. 579487

04 JUN 2015

- 9 -

चाकी नहीं रहा. अगर कोई शर्त्स दावा करे तो वह बिल्कुल  
नाजायज होवे, और अगर आराजी बरगुदा पूर्ण अथवा उसका  
कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या  
कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, चुकी व जमानत  
आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को

रि. म. मुस्ताफा

रि. म. राधिका



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 579488

06 JUN 1979

- 10 -

अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय  
हर्जा-खर्चा व नुकसान को सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व  
विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त  
कर लेंगे, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं  
होगी।



श्री श्री श्री



श्री श्री श्री



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 11 -

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लें।



मि. क. कुर्ख



मि. क. रावण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 579491

06 JUN 2019

- 12 -

आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

नि.सं. 579491

नि.सं. 579491



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

KB 579490



- 13 -

आराजी स्थित ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजार कीमत 27,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.107 हेक्टेअर की मालियत रू० 2,88,900/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः

  
मि. क. रायगुप्त

  
मि. क. रायगुप्त



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 148497

30 MAY 2017

- 14 -

नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 70,350/-  
के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200  
मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।



मि. अ. शर्मा



मि. अ. शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



संघीय गणराज्य

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 148498

5 MAY 2017

- 15 -

विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।  
उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी  
संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं  
"क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक  
प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

  
श्री अ. गुप्ता

  
श्री अ. गुप्ता



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 148499

- 16 -

विवरण भुगतान

1. रू0 10,04,302/- (रुपया दस लाख चार हजार तीन सी दो मात्र) बजरिये चेक सं0-055693 दिनांकित 12.06.2012, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ।



मि. अ. सुप्रदी



मि. अ. सुप्रदी

Handwritten notes in the top right corner, including "Level 2012" and "2m 30m".

विकेता

Registration No. 11152

Year 2012

Book No. 1

0101 सुखई  
पु  
देवपुरी लखी सहाय  
पु



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 808350

- 17 -

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रु0 10,04,302/- ( दस लाख चार हजार तीन सौ दो मात्र) क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त हुए, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।



मि. श्री. सुबशी



मि. श्री. राजकुमार

०१/१६/१२  
श्रीमती  
विजेता

Registration No. 11132

Year 2012

Block No. 1

0101 सुखई

पिता

हसनपुर डीकॉपी लखनऊ

५९



अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक :- 12.06.2012

लखनऊ

गवाहान:-

1. राकेश पांडे, डी. 0  
हाथिया पांडे,  
लालबाग (लखनऊ)



मि. अ. लुखवी

विक्रेता

2. आर. ल. कुमार सेठ, वी. 0  
राम - चौबरी लोडा, बरौवा  
लखनऊ



मि. अ. रामकुमार

क्रेता

दर्शकता :

(राम सनेही)

मसविदांकता :

(विवेक कुमार सिंह)  
एडवोकेट

केला

Registration No.: 11112

Year: 2012

Book No.: 1


020: राम कुमार

राज्यपाल

जन्म २७.०८.५० सि.समवेदी

कुल





आज दिनांक 12/06/2012 को

ब्लॉक नं. 1 जिला नं. 14341

पृष्ठ नं. 221 से 258 पर क्रमांक 11132

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकाारी के हस्ताक्षर



उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

12/06/2012

